IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बाल श्रम

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर एसमाजशास्त्र

राजकीय महिला महाविद्यालय एढिंढुई एपट्टी एप्रतापगढ़

सारांश : बालक देश के विकास के मजबूत स्तम्भ होते हैं । इनका मजबूत होना समाज के लिए आवश्यक हैं स लेकिन दुर्भाग्य हैं की तमाम नीतियों के होने के बाद भी बालकों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बाल श्रमिक के रूप मे कार्य करने के लिए मजबूर हैं स इसके कई कारण हैं लेकिन जानने के बाद भी कुछ विशेष सफलता बालश्रम को रोकने मे नहीं मिली हैं स प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं स

मुख्य शब्द :- बाल श्रम एगरीबी एयूनिसेफ़ एशोषण एसीजनलए शहरी वातावरण

बाल-श्रम का मतलब यह है कि जिसमे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता थाए लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरणए काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमे जनविवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम है। वेश्यावृत्ति या उत्खननए कृषिए माता पिता के व्यापार में मददए अपना स्वयं का लघु व्यवसायए या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैंए कभी-कभी उन्हें दुकान और रेस्तरां के काम में लगा दिया जाता है। अन्य बच्चों से बलपूर्वक परिश्रम-साध्य और दोहराव वाले काम लेते हैं जैसे :बक्से को बनानाए जूते पॉलिशएस्टोर के उत्पादों को भंडारण करना और साफ-सफाई करना। कारखानों और मिठाई की दूकानए के अलावा अधिकांश बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैंए जैसे कृषि में काम करना या बच्चों का घरेलू कार्यद्य यूनिसेफ के अनुसारए दुनिया में लगभग 2ण्5 करोड बच्चेए जिनकी आयु 2.17 साल के बीच है वे बाल-श्रम में लिप्त हैंए जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नहीं है। सबसे व्यापक अस्वीकार कर देने वाले बाल-श्रम के रूप हैं जिनमे बच्चों का सैन्य उपयोग साथ ही बाल वेश्यावृत्ति शामिल है।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होतें है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैए बच्चों के घरेलू काम में योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिएए बाल श्रम निषेध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओं के अधिकार के समूहों यद्यपिए एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक करए बच्चों के विकल्प कम करने को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते है। ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालों के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक बच्चा कार्य के लिए सहमत हो सकता है यदि इसका आय आकर्षक हैं या अगर बच्चा स्कूल से नफरत करता हैए लेकिन इस तरह की सहमति को सूचित नहीं किया जा सकता · कार्यस्थल बच्चे के लिए लंबे समय में अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है। एक प्रभावशाली समाचार पत्र में "बाल श्रम के अर्थशास्त्र " पर अमेरिकी आर्थिक

समीक्षा (1998)ए में कौशिक बसु और हुआंग वान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता पिता की गरीबी है। यदि ऐसा है तोए उन्होंने बाल श्रम के वैधानिक प्रतिबंध पर आगाह किया और तर्क दिया कि इसका उपयोग वयस्क मजदूरी प्रभावित हीन पर ही करना चाहिए और प्रभावित गरीब बच्चे के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा देना चाहिए। भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में अभी भी बाल श्रम व्यापक रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस देश के कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकतेए फ़िर भी कानून को नजरअंदाज कर दिया है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हार्वेस्ट रिच हैए जो बाल श्रम ने प्रयोग नहीं करने का दावा किया हैए हालांकि बच्चों को केवल १ डॉलर प्रति सप्ताह मिलता है।बाल श्रम औद्योगिक क्रांति·के आरम्भ के साथ ही प्रारम्भ हो गया उदाहरण के लिएए कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा " कारखानों में मौजूदा स्वरूप में बाल श्रम का त्याग "यह बात भी गौर करने योग्य है कि सार्वजनिक नैतिक सहापराध के जरिये ऐसे उत्पाद जो विकासशील देशों में एकत्रित या बाल श्रम से बने हैं उनके खरीद को हतोत्साहित किया जाये। दूसरों की चिंता है कि बाल श्रम से बने वस्तुओं का बहिष्कार करने पर यह बच्चे वेश्यावृत्ति या कृषि जैसे काम से अधिक खतरनाक या अति उत्साही व्यवसायों में जा सकते हैं उदाहरण के लिएए एक यूनिसेफ के एक अध्ययन में पाया गया कि 5000 से 7000 नेपाली बच्चे वेश्यावृत्ति के तरफ मूड गए इसके अलावा अमेरिका में बाल श्रम निवारण अधिनियम (1986) के लागू होने के बादए एक अनुमान के अनुसार 5000 बच्चों को बंगलादेश में उनके परिधान उद्योग में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था स यह सब के सब तथ्य यूनिसेफ एक अध्ययन के आधार पर आधारित है।

12 जून का दिन हर साल विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है स इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को बाल श्रम के प्रति जागरुक करना है स अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने पहली बार अंतराष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम को रोकने की मांग उठाई थी स जिसके बाद 2002 में सर्वसम्मति से एक कानून पास कर किया गया· इस कानून के तहत छोटे बच्चों से काम कराना अपराध है स साल 2002 में ही 12 जून को पहली बार बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया स संयुक्त राष्ट्र के मुताबिकए 5 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी काम के माध्यम से बंदी बनाना या उन्हें हानि पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना माना जाता है स अगर काम उन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित करता है तो वह काम श्बाल श्रमश है स भारत में स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकड़ा 11·3 मिलियन था। 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 12·7 मिलियन पहुंच गया । 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसारए भारत में 5 से 14 साल के 25·96 करोड़ बच्चों में से 1·01 करोड़ बाल श्रम कर रहे हैं स भारत में करीब 43 लाख से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए गए हैं स यूनिसेफ के मुताबिकए दुनियाभर के कुल बाल मजदूरों में 12 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले भारत की है स दुनिया में 5 से 17 साल के बीच 152 मिलियन कामकाजी बच्चे हैंए जिनमें से 8 मिलियन बच्चे भारत में हैं स152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं स इनमें सफाईए कारखानों और घरेलू सहायक जैसे काम शामिल है स सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है स यहां 7·21 करोड़ बच्चे बाल श्रम करते हैं स एशिया-पैसेफिक में 6·21 करोड़ और अमेरिका में एक करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं स

बाल मजदूरी और शोषण के अनेक कारण हैं जिनमें गरीबीए सामाजिक मापदंडए वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमीए प्रवास और इमरजेंसी शामिल हैं। ये सब वज़हें सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानताओं के परिणाम हैं। बच्चों का काम स्कूल जाना है न कि मजदूरी करना। बाल मजदूरी बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेती है और वे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं । बाल मजदूरी शिक्षा में बहुत बड़ी रुकावट हैए जिससे बच्चों के स्कूल जाने में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन पर खराब प्रभाव पड़ता है। बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इसके बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक व मानसिक विकास ना होने देना। बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी है जिसमें हमेशा ही बच्चों का शोषण होता है। ऐसे बच्चों को शारीरिकए मानसिकए यौन तथा भावनात्मक सभी प्रकार के उत्पीड़न सहने पड़ते हैं जैसे बच्चों को वेश्यावृति की ओर जबरदस्ती धकेला जाता हैए शादी के लिए मजबूर किया जाता है या गैर-कानूनी तरीके से गोद लिया जाता हैए इनसे कम और बिना पैसे के मजदूरी करानाए घरों में नौकर या भिखारी बनाने पर मजबूर किया जाता है और यहां तक कि इनके हाथों में हथियार भी थमा दिए जाते हैं। बाल तस्करी बच्चों के लिए हिंसाए यौन उत्पीड़न तथा एच आई वी संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा पैदा करती है। बाल-श्रम की समस्या भारत में ही नहीं दुनिया कई देशों में एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है। जिसका समाधान खोजना जरूरी है। भारत में 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की

गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसारए खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुध्द अनुच्छेद *23* और *24* को रखा गया है। अनुच्छेद *23* के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। और संविधान के अनुच्छेद *24* के अनुसार *14* साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा। और फैक्टरी कानून *1948* के तहत *14* वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। *15* से *18* वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैंए जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में *14* से *18* वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी इतने कडै कानून होने के बाद भी बच्चों से होटलोंए कारखानोंए दुकानों इत्यादि में दिन-रात कार्य कराया जाता हैं। और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। जिससे मासूम बच्चों का बचपन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है।

बाल श्रम और भारतीय संविधानरू.

संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धातों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है-

1ण *14* साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा।

2ण राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकोंए पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में प्रवेश करें।

3ण बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएँ दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा।

4ण संविधान लागू होने के *10* साल के भीतर राज्य *14* वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे *(*धारा *45)*।

5ण बाल श्रम एक ऐसा विषय हैए जिस पर संघीय व राज्य सरकारेंए दोनों कानून बना सकती हैं।

अन्य प्रयास जो इस संदर्भ में समय-समय पर हुए हैं उनमें प्रमुख हैं*:*

1ण बाल श्रम *(*निषेध व नियमन*)* कानून *1986-* यह कानून *14* वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और *57* प्रक्रियाओं मेंए जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिये अहितकर माना गया हैए नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

2ण फैक्टरी कानून *1948* - यह कानून *14* वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। *15* से *18* वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैंए जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में *14* से *18* वर्ष तक के बच्चों के लिये हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

3ण भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्त्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप *1996* में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आयाए जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करनेए उन्हें काम से हटाने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

4ण न्यायालय ने यह आदेश भी दिया था कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाएए जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के अंशदान का उपयोग हो।

निष्कर्ष *:* इस प्रकार हम देखते हैं की भारत मे बाल श्रम की समस्या भयावह हैं और इसका मूल कारण है निर्धनता और अशिक्षा। जब तक देश में भुखमरी रहेगी तथा देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिये राजनीतिक ए प्रशासनिकए सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। योजनाए बनी हैं लेकिन कारगर नहीं हैं एकानूनों का

लचीलापन और अघोसीत लाभ बाल श्रम को रोक नहीं पा रहे हैं स कुछ विशिष्ट योजनाएँ बनाई जाएँ तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाए जिससे लोगों का आर्थिक स्तर मज़बूत हो सके स व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिक की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। बाल श्रम की समस्या के निदान के लिये सामाजिक क्रांति आवश्यक है क्योंकि बालक देश के भविष्य हैं स

संदर्भ :

1 ीजजचेरूध्ध्ूण्नदपबमण्वितहध्पदकपंधपध्दवकमध्३२१

2 ीजजचेरूध्ध्ूण्रजांण्पदध्पदकपध्ेजवतलध् सबा नाज़/संजय शर्मा नई दिल्लीए 29 जुलाई 2016ए

3 ीजजचेरूध्ध्ूण्रंहतंदण्बवउध्इसवहेधनउंतमदकतं मुद्दे की बातए कुमारेन्द्र के साथए

4 ीजजचेरूध्धीपण्ूपापचमकपंण्वतहध्ूापध्

5 ीजजचेरूध्ध्ूण्उंतनरंसंण्बवउध्बवसनउदेध्इसवहध्ूवतसक.कंल.हंपदेज.बीपसक.संइवनत.२०२०

6 ीजजचेरूध्ध्संइवनतण्हवअण्पदधीपध्बीपसकसंइवनतध्इवनज.बीपसक.लेबर

7 ीजजचेरूध्ध्दंअईीतंजजपउमेण्पदकपंजपउमेण्बवउध्उमजतव